बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०
खाद्य भवन, दारोगा प्रसाद राय पथ, आर०ब्लॉक रोड नं०-2 पटना-01

पत्रांक- *02:05:206:01:2016- परिवहन/पटना, दिनांक-

प्रेषक,

पंकज कुमार, भा०प्र०से०
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार।

विषय- **परिवहन अभिकर्त्ताओं एवं मिलरों द्वारा एकरारनामा के समय समर्पित बैंक गारन्टी का सत्यापन संबंधित बैंक से कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कुछ ऐसे मामले प्रकाश में आये हैं कि परिवहन अभिकर्त्ताओं एवं मिलरों द्वारा निगम के साथ एकरारनामा करते समय फर्जी बैंक गारन्टी समर्पित कर एकरारनामा कर लिया जाता है। जो एक गंभीर मामला है।

अतः निदेश दिया जाता है कि परिवहन अभिकर्त्ताओं एवं मिलरों द्वारा एकरारनामा करने के उपरान्त उनके द्वारा समर्पित बैंक गारन्टी को एक पक्ष के अन्दर संबंधित बैंक से सत्यापन करा लिया जाय। यदि सत्यापन के पश्चात बैंक गारन्टी फर्जी/जाली/नकली पाया जाता है तो ऐसे मामलों में तुरंत संबंधित परिवहन अभिकर्त्ता/मिलर पर प्राथमिकी दर्ज कर निगम मुख्यालय को सूचित किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-
(पंकज कुमार)
प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक 02:05:206:01:2016- परिवहन/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः- प्रमुख वित्त/प्रमुख अधिप्राप्ति, निगम मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक 02:05:206:01:2016-/0809 परिवहन/पटना, दिनांक- 23/10/17

प्रतिलिपिः- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/x/2017
प्रबंध निदेशक।

S*KG_Trnspt 288